



प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
जालौन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांक 1751 / एम-49 / 89

दिनांक:- 03.07.2026

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.07.2026 में प्रकाशित समाचार का शीर्षक "तीन साल से टंकी में पानी नहीं ग्रामीणों में रोष" के माध्यम से प्राप्त समाचार की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.07.2026 में प्रकाशित समाचार का शीर्षक "तीन साल से टंकी में पानी नहीं ग्रामीणों में रोष" में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकासखण्ड कदौरा के जोराखेरा ग्राम में जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में खबर प्रकाशित हुई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जोराखेरा ग्राम, नलकूप आधारित पेयजल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है, जिसमें कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी मै० बी०जी०सी०सी०प्रा० लि०, नई दिल्ली द्वारा कार्य कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 01 नग नलकूप (क्षमता 350 LPM), 01 नग पम्प हाउस, 01 नग अवर जलाशय (क्षमता 100 के०एल०/12मी० स्टेजिंग), 01 नग स्टॉफ क्वार्टर, 01 नग पम्पिंग प्लांट (10 एच०पी०) के काय एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष नलकूप अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण जा चुका है। पम्प हाउस एवं स्टॉफ क्वार्टर निर्माण का कार्य 70 प्रतिशत किया जा चुका है तथा अवर जलाशय का कार्य 50 प्रतिशत है एवं पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों को मोटेरेबल कर दिया गया है तथा 740 मीटर सड़क पुनर्स्थापना का कार्य किया जाना शेष है, जिसे दिनांक 31.07.2026 तक पूर्ण करते हुए ग्राम के सभी घरों में दिनांक 30.09.2026 पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

खण्ड कार्यालय के सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को स्थलीय निरीक्षण कर कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं समयान्तर्गत किये जाने हेतु नियमित अनुश्रवण किए जाने हेतु उक्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति किये जाने हेतु तथा उक्त का अनुपालन किये जाने हेतु कार्यकारी फर्म को निर्देशित किया जा रहा है।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
3. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, जालौन।
4. जिला सूचना अधिकारी, जालौन।

अधिशाली अभियन्ता